


न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

29

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4197-एक/2014

जिला पन्ना

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|------------------|--|--|
| 11-03-2015 | <p>आवेदक अधिवक्ता को समयसीमा अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पर तथा कायमी के बिन्दु सुना गया तथा प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण क्रमांक 404/अ-6/2012-2013 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 22-1-2014 से परिवेदित होकर इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- आवेदक द्वारा यह निगरानी एक वर्ष से भी अधिक समय के विलम्ब से प्रस्तुत की गई है, धारा 5 के आवेदन पत्र में विलम्ब के संबंध में कोई समाधानकारक तथ्य प्रस्तुत नहीं किये हैं, केवल आदेश की कोई जानकारी आवेदक को नहीं होना बताया गया है इससे विलम्ब को क्षमा किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है । धारा 5 का आवेदन समाधानकारक नहीं है। अतः प्रथमदृष्टया प्रस्तुत निगरानी अवधि बाह्य होने से इसी स्तर पर अग्राह्य की जाती है।</p> <p style="text-align: right;"> प्रशासकीय सदस्य</p> | |